न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 40/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा

दायरा दिनांकः 5.4..2018

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 कल्लू आत्मज किशोर जाति सहरिया निवासी रामपुरिया जागीर तहसील किशनगंज जिला बांरा राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

1 बद्रीबाई पुत्री नैनगा पत्नी बुद्धा लाल जाति सहरिया निवासी सेवनी तहसील किशनगंज जिला बांरा (मृतक) जरिये जरिये कायम मुकामान–

1/1–रामप्रसाद माता बद्रीबाई पिता बुद्धालाल

1/2–कमलेश माता बद्रीबाई पिता बुद्धालाल

1/3–प्रसादीबाई माता बद्रीबाई पिता बुद्धालाल

1/4–सुरजा बाई माता बद्रीबाई पिता बुद्धालाल

जाति सहरिया निवासीगण सेवनी तहसील किशनगंज जिला बांरा।

2 बरधीबाई पत्नी सावन्या जाति सहरिया

3 सुरेन्द्र आत्मज रामदयाल

4 कालू आत्मज रामदयाल

5 गुड्डी बाई बेवा रामदयाल

जाति सहरिया निवासीगण सेवनी तहसील किशनगंज जिला बांरा।

6 ग्राम पंचायत रानी बडोद (वास्तव मे ग्राम पंचायत मिसाई)प0 सं0 शाहबाद पटवार मण्डल रानीबडोद तहसील किशनगंज जिला बांरा।

...रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित : श्री राघवेन्द्रपाल सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पो0 कम–1/1 ता 1/4
श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक रेस्पो0 कम 2 ता 5

:::निर्णय:::

दिनांक 28.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 17/12 बद्रीबाई (मृतक) जरिये कायम मुकामान रामप्रसाद वगेरा बनकाम कल्लू आदि एवं प्रकरण सं0 11/14 बरधीबाई वगेरा बनाम कल्लू आदि मे पारित निर्णय दिनांक 29.2.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम रानीबडोद स्थित भूमि ख0 नं0 706, 707, 726 कुल रकबा 21.07 बीघा का मूल खातेदार नेनगा पुत्र श्रवण जाति सहरिया निवासी किशनगंज की एक मात्र जीवित पुत्री बद्रीबाई होने से नामान्तरकरण सं0 227 दिनांक 25.2.77 ग्राम रानीबडोद जो सगे भाई किशोर पुत्र सरवन के नाम दर्ज किया गया था को निरस्त कर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु बद्रीबाई (मृतक) जरिये कायम मुकामान द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं0 17/12 एवं

मुकामान द्वारा अपील अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं0 17/12 एवं 11/14 दोनो प्रकरणों की विषयवस्तु एवं पक्षकार समान होने से संयोजित कर दिनांक 29.2.2016 को निर्णय पारित कर इन्तकाल सं0 277 ग्राम रानीबडौद को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच कर इन्तकाल खोलने बावत तहसीलदार किशनगंज को आदेशित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट कल्लू आत्मज किशोर जाति सहरिया द्वारा अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खातेदार नेनगा की मृत्यु बाद उसके भाई किशोर के खाते नामा0 सं0 227 से दर्ज की गई है। नेनगा लाओलाद फौत हुये थे उनके कोई पुत्र पुत्री नही थी इस कारण विवादित आराजी का इन्तकाल उनके भाई किशोर के नाम तस्दीक किया गया जो विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा0 जेरअपील निर्णय से खारिज कर त्रुटि की है। दोनो अपीले नामा0 सं0 227 के विरूद्ध पेश की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वकीलो की बहस के तथ्यों मे इन्तकाल नं0 277 अंकित करते हुये कियात्मक आदेश मे इन्तकाल सं0 277 अंकित कर निर्णय पारित किया गया इस कारण जेरअपील निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। नेनगा ने अपने भाई किशोर के नाम वसीयत लिखी थी तथा वसीयत से किशोर को अपना वारिस उत्तराधिकारी बनाया तथा किशोर ने ही नेनगा का किया कर्म दाह संस्कार आदि कार्य पूरे किये थे इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जांच पडताल कर सही रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। वर्तमान मे विवादित भूमि अपीलांट कल्लू व छीतरलाल के वारिसान के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज चली आ रही है किन्तु उक्त सहखातेदान को प्रथम अपील मे पक्षकार नही बनाया गया इस कारण अपील चलने योग्य नही थी इसके बावजूद भी अपील स्वीकार कर इंतकाल खारिज करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि रेस्पो0 क्रम–1 बद्रीबाई नेनगा की जायन्दा पुत्री नही है बल्कि गेलड पुत्री है जिसके पिता गणेश है रेस्पो0 2 ता5 नेनगा के वारिसान व उत्तराधिकारी नही है ये भी गेलड पुत्र सावन्या के वारिसान है। वास्तविकता यह है कि बद्रीबाई की माता व सावन्या की दादी बरजीबाई थी जो गणेश की पत्नी थी । बरजी बाई ने गणेश को छोड कर नेनगा के नाते आयी और अपने साथ रेस्पो0 नं0 1 बद्रीबाई, नेनगा व सावन्या को गेलड के रूप मे साथ लेकर आयी थी। रेस्पो0 को उक्त इन्तकाल जो वर्ष 1977 मे खोला गया है जिसकी प्रारम्भ से जानकारी थी किन्तु 35 वर्ष पश्चात उक्त इंतकाल को चेलेन्ज किया गया। जो स्वतः ही मियाद बाहर अपील थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इतकाल खुलने के 45 साल बाद अपीले स्वीकार कर रिमांड करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायलय का का निर्णय दिनांक 29.2.2016 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक, उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि विवादित आराजी का नामान्तरकरण खातेदार नैनगा पुत्र सरवन के फौते होने उपरांत दिनांक 25.2.77 को नैनगा के भाई किशोर के नाम तस्दीक किया गया था। बरजीबाई गणेश की पत्नि थी जो गणेश को छोड कर नेनगा के नाते आयी और अपने साथ रेस्पो0 नं0 1 बद्रीबाई, सावन्या को गेलड के रूप मे साथ लेकर आयी थी। दिनांक 25.2.77 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण मे नेनगा के किसी औलाद का नाम नही आ रहा है अतः रेस्पो0 उनके पुत्र पुत्रिया नही है। बरजीबाई, नेनगा व सावन्या व बद्रीबाई को गलेड लेकर आयी थी इनके वास्तविक पिता गणेश है। गेलड पुत्र पुत्रियों का खातेदार नेनगा की आराजी मे कोई अधिकार नही है। नेनगा ने अपने भाई किशोर के नाम वसीयत लिखी थी तथा वसीयत से किशोर को अपना वारिस उत्तराधिकारी बनाया तथा किशोर ने ही नेनगा का किया कर्म दाह संस्कार आदि कार्य पूरे किये थे इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जांच पडताल कर सही रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। वर्तमान मे विवादित भूमि अपीलांट कल्लू व छीतरलाल के वारिसान के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज चली आ रही है किन्तु उक्त सहखातेदान को प्रथम अपील मे पक्षकार नही बनाया गया इस कारण अपील चलने योग्य नही थी इसके बावजूद भी अपील स्वीकार कर इंतकाल खारिज करने मे त्रुटि की है। बहस मे यह भी बताया विवादित नामा0 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय मे 35 वर्ष बाद अपील पेश की गई जो मियाद बाहर थी तथा अवधि मध्य माने जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नही होने के बावजूद भी मियाद बाहर अपील को स्वीकार कर नामा0 निरस्त करने मे विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय अपास्त किया जावे।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 श्री घनश्याम नागर व श्री उत्पल शर्मा ने बहस मे बताया कि क्रियात्मक आदेश मे नामा0 सं0 227 के स्थान पर 277 अंकित हो जाना एक लिपिकीय त्रुटि है जिसके आधार पर अपीलार्थी को कोई अनुतोष प्राप्त नही होता है। कल्लू आ0 किशोर को अधीनस्थ न्यायालय मे सुना गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को जांच–पडताल कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने हेतु रिमांड किया है। अपीलांट द्वारा रिमांड आदेश के विरूद्ध अपील पेश कर गलती की है जबकि अपीलांट को रिमांड आदेश की पालना मे परीक्षण न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे प्रथम अपीलीय न्यायालय का रिमांड आदेश न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। अवधि मध्य मानी जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 क्रम–1 अभिभाषक द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख मौजूद नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 प्रकरण का गुणावगुंण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील प्रकरण मे उपलब्ध आधार अभिलेख तथा जेरअपील निर्णय दिनांक 29.2.2016 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं0 17/12 बद्रीबाई (मृतक) जरिये कायम मुकामान रामप्रसाद वगेरा बनकाम कल्लू आदि एवं प्रकरण सं0 11/14 बरधीबाई वगेरा बनाम कल्लू आदि बावत नामा0 सं0 227 दिनांक 25.2.77 ग्राम रानीबडोद निरस्त किये जाने, जेरअपील निर्णय दिनांक 29.2.2016 से स्वीकार कर उक्त नामा0 को निरस्त कर प्रकरण पुनः जांच पडताल कर नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार किशनगंज को रिमांड किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि बरजीबाई गणेश की पत्नि थी जो गणेश को छोड कर नेनगा के नाते आयी और अपने साथ रेस्पो0 नं0 1 बद्रीबाई, सावन्या को गेलड के रूप मे साथ लेकर आयी थी। दिनांक 25.2.77 को तस्दीक किये गये नामान्तरकरण मे नेनगा के किसी औलाद का नाम नही आ रहा है अतः रेस्पो0 उनके पुत्र पुत्रियां नही है। बरजीबाई, नेनगा व सावन्या व बद्रीबाई को गलेड लेकर आयी थी इनके वास्तविक पिता गणेश है। गेलड पुत्र पुत्रियों का खातेदार नेनगा की आराजी मे कोई अधिकार नही है। अपीलांट के तर्क के संबध मे आलौच्य निर्णय दिनांक 29.2.2016 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त अपील सं0 17/12 व 11/14 को स्वीकार कर विवादित आराजी के नामा0 सं0 227 को निरस्त कर प्रकरण जांच पडताल कर पुनः नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार किशनगंज को रिमांड किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट को अपने कथन की प्रमाणिकता मे तहसीलदार किशनगंज के यहां प्रकरण मे उपस्थित होकर साक्ष्य सबूत पेश कर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। जहां तक बद्रीबाई गेलड होने से विवादित आराजी मे उसका कोई हक अधिकार नही होने का प्रश्न है इस विवाद्यक की जांच पडताल परीक्षण न्यायालय तहसीलदार किशनगंज द्वारा रिमांड आदेश की पालना मे की जाकर पुनः विवादित आराजी का नामान्तरकरण खोलने संबधी आदेश पारित किया जाना है ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि नही पाते है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

7 निर्णय आज दिनांक 28.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा